बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,

★ सुरेश कुमार शर्मा

मो० 9470003023 /9431479774

महासचिव,

★ सुशील कुमार

मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :–

संयुक्त सचिवः –

कोषाध्यक्षः –

संयुक्त कोषाध्यक्षः –

★ सआदत हसन मिन्टू

★ राजेन्द्र राम

★ राजयनन्द वार्डियार

★ अनिल कुमार

★ चन्द्र शेखर सिंह

★ विनोद आनन्द

पत्रांक :.....02.....

दिनांक .....20-01-2016.....

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– मो0 महफूज आलम, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक–620 / 11), जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अरवल पर कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक दिनांक–31.12.2015 को बि0प्र0सेवा, जिला ईकाई, अरवल की बैठक की कार्यवाही (प्रति संलग्न) का अवलोकन करना चाहेगे। मो0 आलम पर एक पक्षीय कार्रवाई न कर घटना के समय उपस्थित लोगों से ब्यान दर्ज कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग करने का अनुरोध किया गया है।

संघ का अनुरोध है कि उपरोक्त घटना की जांच वर्त्तमान समाहर्त्ता से कराकर ही अग्रतर कार्यवाही की जाए।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष / सचिव, जिला ईकाई, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री महफूज आलम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

20/01/16

(सुशील कुमार)
महासचिव

D:\anui Y- 2016\assistant director Personal\Pradhan Sachiv.doc

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9470003023 /9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :– * सआदत हसन मिन्टू, * राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिवः – * राजयनन्द वार्डियार, * अनिल कुमार

कोषाध्यक्षः – * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्षः – * विनोद आनन्द

सत्यमेव जयते

पत्रांक : 02

दिनांक 20-01-2016

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– मो0 महफूज आलम, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक–620 / 11), जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अरवल पर कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक दिनांक–31.12.2015 को बि0प्र0सेवा, जिला ईकाई, अरवल की बैठक की कार्यवाही (प्रति संलग्न) का अवलोकन करना चाहेगे। मो0 आलम पर एक पक्षीय कार्रवाई न कर घटना के समय उपस्थित लोगों से ब्यान दर्ज कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग करने का अनुरोध किया गया है।

संघ का अनुरोध है कि उपरोक्त घटना की जांच वर्त्तमान समाहर्त्ता से कराकर ही अग्रतर कार्यवाही की जाए।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष / सचिव, जिला ईकाई, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री महफूज आलम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

D:\anui Y- 2016\assistant director Personal\Pradhan Sachiv.doc

दिनांक 31.12.2015 को अपर समाहर्त्ता, अरवल की अध्यक्षता में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, अरवल ईकाइ की बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थित :- आज की बैठक मे निम्नांकित पदाधिकारी उपस्थित हुए।

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, अपर समाहर्त्ता, अरवल।
2. श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, उप विकास आयुक्त, अरवल।
3. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरवल।
4. श्री महफूज आलम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल।
5. श्री अशोक कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अरवल।
6. श्री नसीब लाल दास, वरीय उप समाहर्त्ता, अरवल।
7. श्री सत्येन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल।
8. श्री राकेश रंजन, वरीय उपसमाहर्त्ता, अरवल।
9. श्री राकेश कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल।

प्रस्ताव संख्या-(1) :-पूर्व मे श्री रंजन कुमार सिन्हा, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, अरवल, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ अरवल ईकाई के अध्यक्ष थे। चूँकि श्री रंजन कुमार सिन्हा का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः सर्वसम्मति से श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, अपर समाहर्त्ता, अरवल को ईकाई का अध्यक्ष चुना गया।

प्रस्ताव संख्या-(2) :- आज की बैठक मुख्य रूप से श्री महफूज आलम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल के पंचायत शाखा के नेट कनेक्शन को डी0आई0ओ0, (एन0आई0सी) अरवल द्वारा काटे जाने एवं तत्पश्चात दिनांक 17.4.15 को दोनो पदाधिकारियों के बीच उत्पन्न विवाद को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई किये जाने के बिन्दु पर बुलायी गयी है।

प्रस्ताव संख्या-(3) :-बैठक मे उपस्थित श्री महफूज आलम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल ने बताया कि दिनांक 4.4.15 को मो0 आशिफ, डी0आई0ओ0 अरवल द्वारा उनके पंचायत प्रशाखा के नेट कनेक्शन को यह कहकर काट दिया गया कि आपके कम्प्यूटर में एंटी वॉयरस आपडेट नही है लेकिन दिनांक 8.4.15 को पंचायत प्रशाखा के सारे कम्प्यूटर में एंटी वॉयरस अपडेट किये जाने के बावजूद नेट कनेक्शन चालू नही किया गया तो उन्होने दिनांक 17.4.15 को डी0आई0ओ0, अरवल के चेम्बर मे जाकर नेट कनेक्शन को चालू करने को कहा तो डी0आई0ओ0 के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा गाली देकर चेम्बर से बाहर निकालने का बलपूर्वक प्रयास किया गया। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल ने बताया कि इसके लिए उन्होने अरवल थाना मे उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की है। डी0आई0ओ0, अरवल ने बाद मे उसी दिन शाम मे अपने बचाव मे अरवल थाना मे मेरे द्वारा थप्पड़ मारने की झूठी प्राथमिकी दर्ज की। तत्कालीन जिला पदाधिकारी, अरवल ने उक्त घटना के जाँच के लिये जाँच दल गठित किया जिसमें तत्कालीन उप विकास आयुक्त, अरवल और अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल शामिल थे। जाँच दल ने वहाँ उपस्थित लोगों के ब्यान को दर्ज कर जिला पदाधिकारी को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच दल ने सिर्फ लोगों के ब्यान को दर्ज कर जिला पदाधिकारी को अग्रसारित किया लेकिन तत्कालीन जिला पदाधिकारी, अरवल ने प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग को अपने प्रतिवेदन में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के रूप में मेरे विरूद्ध बिना प्रमाणिक साक्ष्य एवं तथ्य के प्रतिवेदन भेजा। जिला पदाधिकारी, अरवल के द्वारा मेरे विरूद्ध भेजे गये जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना ने मुझसे स्पष्टीकरण पूछा तो मैंने सारे तथ्यों का उल्लेख कर स्पष्टीकरण दिया है लेकिन इसी बीच जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अधार पर समान्य प्रशान विभाग द्वारा मेरे विरूद्ध प्रपत्र **"क"** की मांग की गयी है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल के द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान मे पंचायत निर्वाचन 2016 के निमित मतदाता सूची के सॉफ्टवेयर के माध्यम से विखण्डीकरण हेतु प्रत्येक जिला मे जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को तकनीकी सहयोग हेतु नामित किया गया है, लेकिन इस कार्य मे डी0आई0ओ0 अरवल के द्वारा असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया तथा मुख्यालय से प्राप्त सॉफ्टवेयर को भी नही दिया गया एवं पंचायत शाखा के नेट कनेक्शन को चालू नही किया गया, जिसके लिए मैंने राज्य निर्वाचन आयोग एवं पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को डी0आई0ओ0 अरवल के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है तथा इसकी सूचना जिला पदाधिकारी, अरवल को भी दी है।

सारे तथ्यों पर विचारोपरान्त बिहार प्रशासनिक सेवा संघ अरवल ईकाई निम्न निर्णय लेती है।

1. श्री महफूज आलम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल जो जिला के एक वरीय पदाधिकारी है उनके पंचायत प्रशाखा के नेट कनेक्शन को डी0आई0ओ0, अरवल द्वारा दिनांक 6.4.15 को बिना किसी सूचना के काटा गया और दिनांक 8.4.15 को जब पंचायत प्रशाखा के सभी कम्प्यूटर मे इंटी वायरस डाल दिया गया तो उसके बावजूद जिला पंचायत शाखा के नेट कनेक्शन को अवरूद्ध करना, और आज की तिथि तक पंचायत प्रशाखा के नेट कनेक्शन को अवरूद्ध किया जाना डी0आई0ओ0, अरवल के मनमानेपन एवं तानाशाही रवैये को स्पष्ट करता है और जब जिला पंचायत राज पदाधिकारी उनके चेम्बर मे जाकर उनसे नेट कनेक्शन चालू करने का अनुरोध करते है तो डी0आई0ओ0 अरवल के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया जिसका संघ घोर निंदा करता है एवं जिला पदाधिकारी अरवल से डी0आई0ओ0 अरवल के विरूद्ध कड़ी और ठोस कार्रवाई की मांग करता है।
2. तत्कालीन जिला पदाधिकारी, अरवल के द्वारा पंचायत राज विभाग, बिहार, पटना को इस मामले मे जो प्रतिवेदन भेजा गया वह सिर्फ श्री प्रमांद कुमार और मो0 शब्बीर के ब्यान पर अधारित है जबकि वास्तविकता यह है कि वह दोनो कर्मी एन0आई0सी0 अरवल के नेट वर्किंग इंजीनियर है और डी0आई0ओ0 के अधीन काम करते हैं और वास्तव मे उन कर्मियों ने हीं पंचायत प्रशाखा के नेट केनेक्शन को काटा है। ऐसे में सिर्फ इनके ब्यान के आधार पर तत्कालीन जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिकूल प्रतिवेदन भेजना तर्क संगत नही था। ऐसे में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, अरवल ईकाई वर्तमान जिला पदाधिकारी, अरवल से **डी0आई0ओ0 अरवल द्वारा पंचायत प्रशाखा अरवल का नेट कनेक्शन को काटे जाने, आज तक पंचायत प्रशाखा अरवल के नेट कनेक्शन को अवरूद्ध करने, वर्तमान मे पंचायत चुनाव 2016 के तैयारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के समय मतदाता सूची के विखण्डीकरण के काम मे असहयोगात्मक रवैया अपनाने दिनांक 17. 04.15 को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल के साथ अभद्र व्यवहार करने, जिले के पंचायत शाखा जैसे महत्वपूर्ण शाखा के नेट कनेक्शन को अभी तक अवरूद्ध किये जाने एवं डी0आई0ओ0**

अरवल द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल पर थप्पड़ मारने आदि का झुठा आरोप लगाने के संदर्भ मे उस समय घटना के समय उपस्थित लोगों से ब्यान दर्ज कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन पंचायती राज विभाग और समान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजे जाने का अनुरोध करता है।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ अरवल ईकाई, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के केन्द्रीय कार्यकारिणी से इस मामले मे हस्तक्षेप कर तत्काल डी0आई0ओ0 अरवल के मनमानेपन पर रोक लगाने एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई न करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से आग्रह करने का अनुरोध करती है।

4. आज की बैठक मे आगे से प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को अपराह्न 5.00 बजे बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, अरवल ईकाई की बैठक करने का रोस्टर निर्धारित किया गया।

अन्त मे उपस्थित सभी पदाधिकारियों को नववर्ष की शुभकामना देते हुए बैठक की कार्यवाही सामप्त की गई।

ह0/–

अध्यक्ष, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ,
अरवल ईकाई–सह–अपर समाहर्त्ता,
अरवल।

ज्ञापांक 05/बि0प्र0से0 दिनांक 31/12/15

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, अरवल को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– श्री सुशील कुमार, महासचिव, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, केन्द्रीय समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.12.15

अध्यक्ष, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ,
अरवल ईकाई–सह–अपर समाहर्त्ता,
अरवल।